

संस्थान नं. - 268-
डा.गरी सं. 3/26
दिनांक 03/3/06
राजस्थान सरकार
गृह (गुप-5) विभाग

क्रमांक प.9(23)गृह-5/2005

जयपुर, दिनांक: 28 FEB 2006

-: परिपत्र :-

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या: 22 वर्ष 2005) राज्य में दिनांक 12.10.2005 से लागू हो गया है। यह अधिनियम न केवल आम जनता के द्वारा वांछित सभी सूचनायें (अधिनियम की धारा 6 के अधीन वर्णित सूचनाओं को छोड़कर) उपलब्ध कराने की व्यवस्था करता है अपितु सूचना उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की कोताही नहीं हो इस दृष्टि से समय सीमा भी निर्धारित करता है।

अधिनियम को राज्य में प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए विभाग द्वारा समसंख्यक परिपत्र/पत्र दिनांक 3.10.2005 को जारी कर यह अपेक्षा की गई थी कि सभी लोक प्राधिकरण धारा 4(1) के अधीन विभागाध्यक्ष हस्त पुस्तिकायें प्रकाशित करा लें एवं धारा 5(1)/5(2) के अनुसरण में राज्य लोक सूचना अधिकारी तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त कर दें। इसी प्रकार धारा 19(1) के अन्तर्गत अपील अधिकारी नियुक्त किये जाने की भी अपेक्षा की गई थी। राज्य सरकार द्वारा आवश्यक नियम भी दिनांक 12.10.2005 को प्रचलित कर दिये गये हैं।

यदि आवेदक द्वारा वांछित सूचना इस प्रकार के सुस्पष्ट वैधानिक प्रावधान के बाद भी समय से नहीं दी जाती है या सूचना दिये जाने की व्यवस्था में अस्पष्टता से असुविधा होती है तो इससे आवेदक के मन में इस प्रकार की आशंका पैदा होनी स्वभाविक है कि राज्य सरकार द्वारा अधिनियम को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। राज्य सरकार की संवेदनशील प्रशासन की नीति एवं अधिनियम को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित कर आमजन को वांछित जानकारी सरलता एवं सुगमता से उपलब्ध कराने की नीति के बावजूद इस प्रकार की भावना पैदा होना खेद जनक होगा।

सूचना की अपेक्षा रखने वाले आम नागरिक भ्रमित नहीं हों एवं सही स्थान व समय पर वांछित सूचना के लिए अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकें इस दृष्टि से राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अपील अधिकारियों की जानकारी राजस्थान सरकार के वेबसाइट पर प्रदर्शित की जानी आवश्यक है। विभिन्न लोक प्राधिकरण द्वारा सूचना उपलब्ध कराने में विलम्ब के कारण वेबसाइट पर उपरोक्त सूचना उपलब्ध नहीं करा पाने की स्थिति को राज्य सरकार द्वारा गंभीरता से लिया गया है।

राज्य सरकार के ध्यान में यह भी लाया गया है कि राज्य लोक सूचना अधिकारियों द्वारा अभी तक विभागीय हस्त पुस्तिकायें प्रकाशित नहीं की गयी हैं जिसके कारण सूचना चाहने वाले आवेदक को सूचना की उपलब्धता के बारे में कठिनाई हो रही है। साथ ही

आवेदन को प्रयोग करने समय वांछित सूचना के बारे में सही जानकारी नहीं होने जान के कारण भी आवेदक को असुविधा हो रही है। यदि आवेदक द्वारा वांछित सूचना सम्बन्धित लोक प्राधिकरण द्वारा संचारित नहीं होता है या सूचना विधान के अनुसार वार्जित है / देय नहीं है तो आवेदक को तत्काल ही यह अवगत करा दिया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार आवेदक को प्रनावली के अवलोकन की सुविधा देकर उसे वांछित सूचना के लिए स्पष्ट रूप से आवेदन देने का मन्तव्य बनाने में भी सहयोग करना आवश्यक है। यह विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि अधिनियम का मन्तव्य यह है कि आमजन को अपेक्षित ऐसी सूचना जो सम्बन्धित लोक प्राधिकरण द्वारा संचारित की जा रही है एवं वार्जित नहीं है सुगमता से उपलब्ध करायी जाये। इसके लिये अपेक्षित है कि किसी आवेदक के मन में यह भाव पैदा होने की स्थिति नहीं उत्पन्न होने दी जावे कि राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना देने में ढालमटोल किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा सूचना देने से ढालमटोल करने या अनपेक्षित विलम्ब करने के मामलों को गंभीरता से लिये जाने का मन्तव्य जाना जाना है।

अतः समस्त राज्य लोक सूचना अधिकारियों से अपेक्षा है कि उपरोक्त मन्तव्य की प्रभावी ढंग से कियान्वयन कराये तथा अपने अधीनस्थ समस्त सहायक लोक सूचना अधिकारियों को भी अधिनियम के प्रावधानों एवं राज्य सरकार के मन्तव्यों की जानकारी देकर पूरी सचेतता के साथ दायित्व निर्वहन के लिए प्रेरित / पाबंद कराये।

आज्ञा से

Handwritten signature
27/12/06
(वी.एस.सिंह)

- प्रमुख शासन सचिव, गृह
- प्रतिलिपि सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -
- 1. समस्त मुख्य शासन सचिव / शासन सचिव, राजस्थान।
 - 2. समस्त जिला प्रमुख, राजस्थान।
 - 3. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
 - 4. समस्त जिला प्रमुख, राजस्थान।
 - 5. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 6. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 7. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 8. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 9. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 10. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 11. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 12. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 13. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 14. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 15. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 16. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 17. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 18. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 19. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 20. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 21. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 22. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 23. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 24. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 25. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 26. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 27. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 28. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 29. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 30. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 31. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 32. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 33. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 34. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 35. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 36. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 37. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 38. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 39. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 40. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 41. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 42. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 43. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 44. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 45. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 46. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 47. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 48. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 49. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 50. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 51. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 52. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 53. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 54. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 55. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 56. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 57. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 58. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 59. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 60. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 61. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 62. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 63. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 64. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 65. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 66. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 67. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 68. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 69. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 70. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 71. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 72. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 73. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 74. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 75. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 76. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 77. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 78. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 79. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 80. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 81. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 82. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 83. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 84. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 85. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 86. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 87. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 88. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 89. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 90. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 91. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 92. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 93. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 94. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 95. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 96. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 97. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 98. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 99. जिला सचिव, राजस्थान।
 - 100. जिला सचिव, राजस्थान।

प्रमुख शासन सचिव, गृह